



नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र (उपभोक्ता कार्ड) हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

ePDS
आपका राशन
आपका अधिकार

डिपो कोड: _____

1. श्रेणी: एपीएल बीपीएल अन्तोदय प्राथमिक गृहस्थियां जिला: _____ खंड: _____

2. ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर परिषद/एनएसी: _____ वार्ड नंबर: _____

3. आवेदक का नाम: _____ पिता/पति का नाम: _____

4. घर का पता: _____

पिन कोड: _____

5. जिस स्थान व राज्य से स्थानांतरित हुए है : _____

6. अभ्यर्पण/विलोपन के प्रमाण पत्र का विवरण (मूल प्रति संलग्न करें) _____

7. वितरण के क्षेत्र में आने का कारण: _____

8. सभी स्त्रोतों से परिवार की कुल मासिक आय : रूपये: _____

(सरकारी/अर्ध-सरकारी/निगम/बोर्डों के कर्मचारियों के लिए भते के साथ)

9. राष्ट्रीयता: भारतीय तिब्बती

10. एलपीजी उपभोक्ता संख्या: _____ इस0बीसी0 डी0बीसी0

गैस एजेंसी का नाम: _____ ऑयल कंपनी. आई0ओ0सी

एच0पी0सी बी0पी0सी

11. परिवार के मुखिया के बैंक खाते का विवरण: (i) बैंक का नाम: _____

(ii) आईएफएससी कोड: _____ (iii) खाता संख्या: _____

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक पत्र भरने के लिए निर्देश

- (I) आवेदन पत्र को स्पष्ट अक्षरों में भरें।
(II) आवेदक जो अन्य राज्य/शहरों से आये है उन्हें आवेदन पत्र के साथ निरस्तिकरण/विलोपन/अभ्यर्पण का जारी किया गया, प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
(III) तथ्य 12 के कंमाक संख्या 1 में परिवार के मुखिया का विवरण भरें।
(IV) तिब्बती आवेदक के मामले में फार्म तिब्बती कल्याण अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

- (V) यदि आवेदक सरकारी नौकरी में है तो विभाग के उच्चअधिकारी से प्रार्थना पत्र सत्यापित करवाएं। यदि आवेदक सरकारी नौकरी में नहीं है तो स्थानीय पार्श्व या वार्ड सदस्य/राजपत्रित अधिकारी या विशेष रूप से सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

✂----- Cut Here -----

आवेदन फार्म की रसीद

डायरी नंबर/दिनांक: _____ आवेदक का नाम: _____

यह रसीद _____ को _____

पर प्रस्तुत की जाएगी। यदि आवेदन पत्र ठीक पाया जाता है तो राशन/उपभोक्ता कार्ड जारी किया जाएगा।

दिनांक _____ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

12. परिवार के सदस्यों का विवरण जो राशन/उपभोक्ता कार्ड के लिए आवश्यक हैं:-

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों का नाम	परिवार के मुख्या का नाम	जन्म तिथि	आधार नंबर	मोबाइल नंबर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

13. मैं TPDS के तहत राशन लेने हेतु अपना आधार / बायोमैट्रिक का उपयोग करने हेतु सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

14. मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 199/200 के प्रति शापथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि-

(a) इस फार्म में दी गई जानकारी सही है। (b) ऊपर दिए गए सदस्य किसी भी सेना या अधिसौनिक बलों से राशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं तथा भारत में किसी भी उपभोक्ता कार्ड में दर्ज नहीं है। आवेदक दिए गए पते पर वार्ताव में रह रहे हैं।

तारीख के साथ आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अधिकारी की रिपोर्ट सूचना:- आवेदक पत्र में दर्शाये गए तथ्य मेरी जानकारी तथा सरकारी रिकार्ड के अनुसार सही है।

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर / प्राधिकरण के हस्ताक्षर

पद और मुहर के साथ

कंगाक संख्या एवं क्रम संख्या राशन कार्ड

दिनांक

पूछताछ अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित (खाद्य आपूति अधिकारी, इंस्पेक्टर,

खाद्य नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले, ग्राम पंचायत

विकास अधिकारी/सचिव/सहायक)

कार्ड में अधिकारी के हस्ताक्षर/सरकारी अधिकारी

Cut Here

Authority

I here by authorize Sh/Smt./ _____ who is an adult member of my family, to receive my ration card on my behalf and whose specimen signature are given below.

Date _____

Signature of Applicant